रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 75] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 19, 1971/चैत्र 29, 1893
No. 75 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 19, 1971/CHAITRA 29, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 1971

G. S. R. 574—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954, (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of the said section, namely :—

1 (1) These rules may be called the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Amendment Rules, 1971.

(2) Rules 4 and 5 shall be deemed to have come into force on the 21st day of August, 1969 and the other provisions of these rules shall come into force at once.

2. In the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957 (hereinafter referred to as the said rules), rule 7 shall be omitted.

3. In rule 16 of the said rules, (i) in sub-rule (1) *for* the words "Identity Card-cum-Railway Pass" wherever they occur, the words "Identity Card-cum-Railway Pass or Spouse's Railway Pass" shall be substituted;

(ii) In sub-rule (2), *for* the words "where a Member travels by rail without his Identity Card-cum-Railway Pass", the words "Where a Member/spouse travels by rail without his Identity Card-cum-Railway Pass/spouse's Railway Pass" shall be substituted.

4. After rule 17 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"17A. Whenever the spouse of a Member undertakes a journey by using the railway pass provided under Section 6A, a railway journey form as set out in Form B-I shall be filled in by the Member before the commencement of the journey. The form so filled shall be handed over to the railway ticket collecting staff on the termination of the journey at the destraining station. For this purpose, a booklet containing machine-numbered copies of forms B-I to be used by the spouse of the Member, shall be supplied to a Member, on request."

5. For Form 'B', appended to the said rules, the following form shall be substituted namely :—

FORM B

[*See Rule* 17(1)]

No.

Lok Sabha Secretariat

RAJYA SABHA

MEMBER'S RAILWAY JOURNEY FORM BOOK FOIL

I am travelling by class *.....

from.....

Station to.....

Station *via*.....

and have commenced my journey on.....

.....19 , accompanied/unaccompanied by one person in third class.

My Identity Card-cum-Railway Pass No. is.....

Div. No..... Member, Lok Sabha / Rajya Sabha

*I/II/III/ACIII/Sleeper coach etc.

(To be retained by Member)]

No.

Lok Sabha Secretariat

RAJYA SABHA

MEMBER'S RAILWAY JOURNEY FORM BOOK FOIL

(To be delivered to the Railways)

I am travelling by class *.....

from.....

Station to.....

Station *via*.....

and have commenced my journey on.....

.....19 , accompanied/unaccompanied by one person in third class.

My Identity Card-cum-Railway Pass No. is

Div. No..... Member, Lok Sabha / Rajya Sabha

*I/II/III/ACIII/Sleeper coach etc.

(To be handed over to the Railway ticket collecting staff on the termination of the journey).

"FORM 'B-I'"

(*See rule* 17-A)

No.

Lok Sabha Secretariat

Rajya Sabha

SPOUSE'S RAILWAY JOURNEY FORM

BOOK FOIL

My wife/husband, Shrimati/Shri..... is travelling by.....*class from.....(ususal place of residence) to Delhi/New Delhi & and from Delhi/New Delhi to..... (usual place of residence) via..... ommencing the journey on..... in respect of.....Session, Lok Saoha/Rajya Sabha

My Identity Card-cum-Railway Pass No. is

My spouse's Railway Pass No. is.....

Div. No..... Member, Lok Sabha / Rajya Sabha

(To be retained by Member and returned to Lok Sabha /Rajya Sabha Secretariat after use.)

*/I/II/III/ACIII/Sleeper coach etc.

No.

Lok Sabha Secretariat

Rajya Sabha

SPOUSE'S RAILWAY JOURNEY FORM

FOIL

(To be delivered to the Railways on the termination of the journey)

My wife/husband, Shrimati/Shri..... is travelling by.....*class from.....(usual place of residence) to Delhi/New Delhi and from Delhi/New Delhi to (usual place of residence) via..... commencing the journey on..... in respect of.....Session, Lok Sabha/Rajya Sabha.

My Identity Card-cum-Railway Pass No. is

My spouse's Railway Pass No. is.....

Div. No..... Member, Lok Sabha / Rajya Sabha

(To be handed over to the Railway ticket collecting staff on the termination of the journey)

*I/II/III/ACIII/Sleeper coach etc.

[No. RS. 8/71-MSA]

B. N. BANERJEE, Secy.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल 1971

सा०का०नि० 574.—संसद् सदस्यों के सम्बलम और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, संसद् सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है जो कि उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षा के अनुसार राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट किये जा चुके हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का नाम संसद् सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) संशोधन नियम, 1971 होगा ।

 (2) नियम 4 और 5 अगस्त 1969 के इक्कीसवें दिन प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे और इन नियमों के अन्य उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. संसद् सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 7 लुप्त कर दिया जाएगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 16 में,

 (1) उपनियम (i) में "अभिज्ञान-पत्र एवं रेल पास" शब्द जहां भी आए हैं उनके स्थान पर "अभिज्ञान-पत्र एवं रेल पास अथवा पत्नी का रेल पास" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे; (ii) उपनियम (2) में, "जहां कोई सदस्य अपने अभिज्ञान पत्र एवं रेल पास के बिना रेल द्वारा यात्रा करता है" शब्दों के स्थान पर "जहां कोई सदस्य/पति या पत्नी अपने अभिज्ञान-पत्र एवं रेल पास के बिना रेल द्वारा यात्रा करता है" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. उक्त नियमों के नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

 "17क जब कभी किसी सदस्य का पति या पत्नी धारा 6 क के अधीन उपबंधित रेल पास का उपयोग करके कोई यात्रा करता है या करती है तो वह सदस्य यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व प्ररूप ख—1 में यथा उपवर्णित रेल यात्रा प्ररूप करेगा । इस प्रकार भरा गया प्ररूप यात्रा समाप्त होने पर रेलगाड़ी से उतरने के बाद रेल टिकट लेने वाले कर्मचारिवृन्द को सौंप दिया जायगा । इस प्रयोजन के लिये, सदस्य के पति या पत्नी के उपयोग के लिये प्ररूप ख—1 को मशीन-संख्यांकित प्रतियां, प्रार्थना करने पर, सदस्य को प्रदत्त की जायेंगी ।"

5. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 'ख' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

प्ररूप—ख

[नियम 17 (1) देखिये]

संख्या

लोक सभा सचिवालय
राज्य सभा

सदस्य का रेल यात्रा प्ररूप

पुस्तकपर्ण

संख्या

लोक सभा सचिवालय
राज्य सभा

सदस्य का रेल यात्रा प्ररूप

पर्ण

(रेलवे को देने के लिये)

मैं.....से
.....स्टेशन तक
.....स्टेशन होते हुए
.....श्रेणी* में यात्रा कर
रहा हूं और मैंने अपनी यात्रा तीसरी श्रेणी* में एक
व्यक्ति के साथ/किसी के साथ बगैर.....
19 को आरम्भ की है।

मेरे अभिज्ञान-पत्र एवं रेल पास की संख्या...है
विभाजन संख्या.....लोकसभा

सदस्य———
राज्य सभा

*I/II/III/बालानुकूलित III
शायिका, आदि।

(सदस्य के रखने के वास्ते)

मैं.....से
.....स्टेशन तक
.....स्टेशन होते हुए
.....श्रेणी* में यात्रा कर
रहा हूं और मैंने अपनी यात्रा तीसरी श्रेणी* में
एक व्यक्ति के साथ/किसी के साथ बगैर.....
19 को आरम्भ की है।

मेरे अभिज्ञान पत्र एवं रेल पास की संख्या....है
विभाजन सं०.....लोकसभा

सदस्य ———
राज्य सभा

*I/II/III/बालानुकूलित III
शायिका, आदि।

(यात्रा की समाप्ति पर रेल टिकट लेने वाले कर्मचारिवृन्द को सौंपने के वास्ते)

"प्ररूप ख–I"

(नियम 17 क देखिये)

सं०

लोक सभा सचिवालय

राज्य सभा

पति या पत्नी को रेलयात्रा का प्ररूप

पुस्तक-पर्ण

मेरी पत्नी/मेरे पति श्रीमती/श्री.....
(निवास का प्रायिक स्थान) से दिल्ली/नई दिल्ली
तक और दिल्ली/नई दिल्ली से.....
(निवास का प्रायिक स्थान) तक.....
के द्वारा लोकसभा/राज्यसभा.....
सत्र की बाबत.....को यात्रा आरम्भ
करके.....श्रेणी* में यात्रा कर
रही/रहा है।
मेरे पति या पत्नी के रेल पास की सं०....है।
विभाजन सं०..... लोक सभा
सदस्य राज्य सभा

सदस्य द्वारा प्रतिधारित करने और उपयोग करने के बाद लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय को वापिस करने के लिय)

*I/II/III/एसीIII/शायिका आदि

सं०

लोक सभा सचिवालय

राज्य सभा

पति या पत्नी को रेलयात्रा का प्ररूप

पर्ण

(यात्रा समाप्ति पर रेलवे को देने के लिए)

मेरी पत्नी/मेरे पति श्रीमती/श्री.....
(निवास का प्रायिक स्थान) से दिल्ली/नई दिल्ली
तक और दिल्ली/नई दिल्ली से.....
(निवास का प्रायिक स्थान) तक.....
के द्वारा लोकसभा/राज्यसभा.....
सत्र की बाबत.....को यात्रा आरम्भ
करके.....श्रेणी* में यात्रा कर
रही है/रहा है।
मेरे पति या पत्नी के रेल पास की सं०.....है।
विभाजन सं०..... लोकसभा
सदस्य राज्य सभा

(यात्रा की समाप्ति पर रेल टिकट लेने वाले कर्मचारिवृन्द को सौंपने के लिये)

*I/II/III/एसी/शायिका आदि

[आर०एस०8/71–एम०ए०सए०]

बी० एन० बनर्जी,
सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971